संख्या– 459/33–3–2015–03रा0नि0आ0/2014

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 2015

विषय : ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का परिसीमन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–385/33–3–2014–03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 06 फरवरी, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के निर्धारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपत्तियाँ जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त की जायेंगी।

साथ ही निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जाएगा :–

(क)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
(घ)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– (1)/33–3–2014, तद्दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. मुख्य स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं वांछित प्रस्ताव व अंतिम सूची समय से पंचायती राज निदेशालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।